भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 884

24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी बेघरों की आश्रय योजना के अंतर्गत सुरक्षा

†884. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान नई दिल्ली सहित पूरे देश में शीतलहर के कारण बेघर व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) घटक के अंतर्गत शहरी बेघर व्यक्तियों को हाइपोथर्मिया सहित शीत-संबंधी खतरों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विभिन्न राज्यों में वर्तमान में कितने आश्रय स्थल संचालित हैं;

(ग) क्या सरकार शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए उनकी अस्थायी और अनिर्दिष्ट स्थिति के कारण इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु वैकल्पिक पहचान दस्तावेजीकरण तंत्र शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश भर में, विशेषकर तमिलनाडु में, दिव्यांग महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाओं से लैस आश्रय गृहों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) दिव्यांग महिलाओं के लिए ऐसे आश्रय स्थलों में उपलब्ध सहायता सुविधाओं की प्रकृति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): शीत लहर के कारण होने वाली मृत्यु के आंकड़े आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीयूएसआईबी के किसी भी आश्रय स्थल में कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई है।

(ख): शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। तथापि, उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एसयूएच) का संचालन किया है। इसका उद्देश्य शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से सज्जित स्थायी आश्रय प्रदान करना था। यह मिशन सितंबर 2024 तक अस्तित्व में था। साथ ही, यह मंत्रालय सर्दियों की कठिन परिस्थितियों के शुरू होने से पहले शहरी बेघरों के रहने की व्यवस्था करने के लिए शीतकालीन कार्य योजना के संबंध में चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी करता है। इसमें अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था करना, बेघर व्यक्तियों को आश्रय स्थलों में आने के लिए मोबिलाइजेशन अभियान चलाना आदि शामिल हैं।

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 30.09.2024 तक देश-भर में शहरी बेघरों के लिए कुल 1,995 आश्रय स्थलों का संचालन किया गया।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): एसयूएच के परिचालन दिशानिर्देशों में बेघर आबादी के सबसे कमजोर समूहों, जैसे (क) सिंगल महिलाएं और उनके आश्रित नाबालिग बच्चे, (ख) वृद्ध, (ग) अशक्त, (घ) दिव्यांगजन, (ङ) मानसिक रूप से दिव्यांग आदि, के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है। राज्य (तमिलनाडु सहित)/यूएलबी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग आश्रय स्थल की व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे पुरुष आश्रय स्थल, महिला आश्रय स्थल, पारिवारिक आश्रय स्थल और विशेष आश्रय स्थल। तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महिलाओं के लिए केवल 19 विशेष आश्रय स्थल संचालन में हैं। आश्रय स्थलों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण 'अनुलग्नक' में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 24.07.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 884 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>आश्रय स्थलों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं</u>

क) अच्छे-हवादार कमरे।
ख) जल व्यवस्था (पेयजल एवं अन्य आवश्यकताएं) एवं स्वच्छता।
ग) पर्याप्त स्नान एवं शौचालय सुविधाएं।
घ) आश्रय स्थल में रोशनी की उचित व्यवस्था।
ङ) मानदंडों के अनुसार पर्याप्त अग्निशमन के सुरक्षा उपाय।
च) प्राथमिक चिकित्सा किट।
छ) कीट एवं वेक्टर (मच्छर) नियंत्रण।
ज) कंबल, गद्दे और चादरों की नियमित साफ-सफाई तथा अन्य सेवाओं का रखरखाव।
झ) सामान्य रसोई/खाना पकाने का स्थान, खाना पकाने और परोसने के लिए आवश्यक बर्तन, रसोई गैस कनेक्शन आदि।
ञ) आश्रय स्थल को निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़कर बच्चों के लिए बाल देखभाल सुविधाएं
ट) अन्य सेवाओं/पात्रताओं के साथ तालमेल हेतु सुविधा।
ठ) पर्सनल स्टोरेज स्पेस के लिए व्यक्तिगत लॉकर।
ड) कॉमन मनोरंजन स्थल।

*****